

14/10/2020

पार्सी की ओर से प्रस्तुत प्राप्त पत्र  
मिसल तलबी स्वीकार किया जाने पर पत्रावली  
कोविड-19 संक्रमण के कारण निम्न ईरुजाही  
पेशी विनांक 02/12/2020 से तलब की जाकर  
आज पेश हुई। पार्सी व अपार्सी सं. 1 की  
ओर से राजीनामा पेश हुआ। पार्सी की पहचान  
श्री सुनिल कुमार शर्मा एड. ने की तथा अपार्सी  
सं. 1 की पहचान श्री अंवर सिंह चौधरी एड. ने  
की। उपस्थित पक्षकारान को राजीनामा पढ़कर  
सुनाया गया जिसे सुन व समझकर उपस्थित पक्ष-  
कारान द्वारा सही होना स्वीकार किया। अतः  
दस्ब ख्यातिश पक्षकारान राजीनामा बाद तस्वीक  
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पूर्व निम्न  
तारीख पेशी विनांक 02/12/2020 को पेश हो।

02-12-2020

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपर। प्रतिवादी सं. 2 ता  
 4 की तामिल सम्प्रक रूप से हो चुकी है। बावजूद  
 सम्प्रक तामिल अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 2  
 ता 4 के विरुद्ध एम्पक्षीय कार्यवाही अमल में लगी  
 जाती है। तत्पश्चात प्रकरण में बहस वकुलाय उन्नयपक्ष  
 सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 04-12-2020  
 को पेश हो

04-12-2020

पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। वकुलाय उपर।  
 प्रकरण में बहस वकुलाय उन्नयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी  
 है। वरवत्त बहस वकुलाय उन्नयपक्ष ने श्रुताधिक राजीनामा  
 ग्राह्य बाबत अदला-बदली स्वीकार किये जाने का  
 निवेदन किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड  
 का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उन्नयपक्ष  
 पर सगौर मनन किया गया। चूंकि विवादित पक्षारों द्वारा  
 राजीनामा पेश किया जा चुका है जिसे न्यायालय  
 द्वारा तस्वीक भी किया जा चुका है अतः पार्थी  
 का ग्राह्य बाबत अदला-बदली श्रुताधिक राजीनामा  
 दिनांकित 14-10-2020 स्वीकार किया जाता है। श्रुताधिक  
 राजीनामा दिनांकित 14-10-2020 राजस्व रिकार्ड में  
 अमल द्वाारा हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर  
 जारी है। राजीनामा दिनांकित 14-10-2020 निर्णय का  
 भाग रहेगा। पत्रावली फेब्रुअरी शुमार होकर नम्बर से  
 कम हो तथा बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो। यह  
 निर्णय आज दिनांक 04-12-2020 को मेरे द्वारा  
 दस्तावेजित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय  
 में सुनाया गया।



(राकेश कुमार)

RAS

सहायक कलेक्टर

सोनपटना (फास्ट ट्रेक) खण्डेला